प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधिश

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक: 270/2011

याचिकाकर्ता : जलील अंसारी एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 391/2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : अजीम अंसारी एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 433/2011

याचिकाकर्ता : नौशाद

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 471/2011

याचिकाकर्ता / आवेदक : मोहद. हाशिम

विरुद्ध

उत्तरवादी / अनावेदक : छत्तीसगढ़ राज्य

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 472/2011

याचिकाकर्ता / आवेदक : महबूब

विरुद्ध

उत्तरवादी / अनावेदक : छत्तीसगढ़ राज्य

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 473/2011

याचिकाकर्ता / आवेदक : सुरेश राम

विरुद्ध

उत्तरवादी / अनावेदक : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश की घोषणा के लिए दिनांक: 21 सितम्बर, 2011

सही/-
मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधिश

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 270/2011

याचिकाकर्ता : जलील अंसारी एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 391/2011

याचिकाकर्ता : अजीम अंसारी एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 433/2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : नौशाद

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 471/2011

याचिकाकर्ता / आवेदक : मोहद. हाशिम

विरुद्ध

उत्तरवादी / अनावेदक : छत्तीसगढ़ राज्य

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 472/2011

याचिकाकर्ता / आवेदक : महबूब

विरुद्ध

उत्तरवादी / अनावेदक : छत्तीसगढ़ राज्य

विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 473/2011

याचिकाकर्ता / आवेदक : सुरेश राम

विरुद्ध

उत्तरवादी / अनावेदक : छत्तीसगढ़ राज्य

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत याचिका)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति :-

श्रीमती फौजिया मिर्ज़ा, श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, श्री अरुण शुक्ला, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं की ओर से।

श्री वैभव गोवर्धन, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव, उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से अधिवक्ता (विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 270 of 2011 में)।

आदेश

(दिनांक 21/09/2011 को उच्चरित)

1. उपर्युक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा धारा 482, दण्ड प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे "संहिता" कहा जाएगा) के अंतर्गत दायर याचिकाओं का निपटारा इस समान आदेश द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि विचार हेतु समान विधि-प्रश्न उत्पन्न हुआ है।

2. उपर्युक्त सभी सम्बंधित याचिकाओं में, संबंधित याचिकाकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ कृषिगत गौ-वंश संरक्षण अधिनियम, 2004 (जिसे आगे "अधिनियम, 2004" कहा जाएगा) के अंतर्गत अपराध किया है। अधिनियम, 2004 के अंतर्गत अपराध किए जाने के आरोप के अतिरिक्त, विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 433 of 2011 के याचिकाकर्ता पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पशुओं पर अत्याचार निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 (जिसे आगे "अधिनियम, 1960" कहा जाएगा) तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, की धारा 47 ए.बी.सी. 48, 49 ए.बी.सी., 50, 59, 53, 54(1)(2)(3) के अंतर्गत भी अपराध किया है और साथ ही मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192 के अंतर्गत भी। तथा विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 270 of 2011 के याचिकाकर्ताओं पर अधिनियम, 1960 की धारा 11 के अंतर्गत अपराध करने का आरोप है। विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 391 of 2011 के याचिकाकर्ताओं पर भी अधिनियम, 1960 की धारा 11 के अंतर्गत अपराध करने का आरोप है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उपर्युक्त प्रत्येक याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने उन पशुओं की अंतरिम अभिरक्षा दिए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन्हें उपर्युक्त कथित अपराध किए जाने के आरोप के संबंध में जब्त किया गया बताया गया है। उपर्युक्त सभी याचिकाओं में, सिवाय विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 391 of 2011 के, अंतरिम अभिरक्षा हेतु किया गया आवेदन क्षेत्राधिकार-युक्त मजिस्ट्रेट द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिस पर पुनरीक्षण दायर किया गया और वह भी अपास्त कर दिया गया। विविध दाण्डिक याचिका क्रमांक No. 391 of 2011 में, संबंधित प्रकरणों में अंतरिम अभिरक्षा हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरुद्ध राज्य ने पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। राज्य द्वारा दायर पुनरीक्षण स्वीकार कर लिया गया और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दी गई अंतरिम अभिरक्षा की आदेशात्मक व्यवस्था को अपास्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका दायर की है।

4. सभी मामलों में, जिन याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अधिनियम, 2004 तथा कुछ मामलों में अन्य क़ानूनों के अंतर्गत भी अपराध कारित किए जाने का अभियोजन लंबित है, उनके द्वारा दायर पशुओं की अंतरिम अभिरक्षा हेतु आवेदन को एक समान आधार पर यह कहते हुए अस्वीकार किया गया है कि अधिनियम, 2004 की धारा 7 में निहित उपबंधों के दृष्टिगत, जिन आवेदकों के

विरुद्ध अभियोजन लंबित है, उन्हें, अधिनियम, 2004 के अंतर्गत कथित अपराध के परीक्षण की लंबितावस्था के दौरान, पशुओं की अंतरिम अभिरक्षा नहीं दी जा सकती।

5. याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उपस्थित सम्बंधित अधिवक्ताओं ने समान प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2004 की धारा 7 में निहित उपबंध, न्यायालय की उस शक्ति को, जो संहिता की धारा 451/457 के अंतर्गत अंतरिम अभिरक्षा प्रदान करने के लिए है, न तो निरस्त करते हैं और न ही सीमित करते हैं; यह प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 451 के उपबंध ही अन्वेषण, जांच तथा विचारण की लंबितावस्था के दौरान अंतरिम अभिरक्षा प्रदान किए जाने के प्रकरण में लागू होते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एक केंद्रीय अधिनियम होने के नाते अधिनियम, 2004 में निहित उपबंधों पर वरीयता रखेगी और, जहाँ तक असंगति का प्रश्न है, अधिनियम, 2004 की धारा 7 में निहित उपबंध लागू नहीं होंगे। यह भी निवेदन किया गया कि जिन पशुओं की अंतरिम अभिरक्षा की मांग की गई है, और जिन्हें याचिकाकर्ताओं से जब्त किया गया है, उन्हें निकटस्थ पंजीकृत गौशाला/गोसदान/गोरक्षण संस्थान अथवा किसी अन्य पंजीकृत संस्थान द्वारा दावा नहीं किया गया है, अतः धारा 7 के उपबंधों का कोई अनुप्रयोग नहीं रहेगा, और इस प्रकार, जिन पशुओं के संबंध में क्रय रसीदें प्रस्तुत की गई हैं, उनके स्वामी होने के नाते याचिकाकर्ताओं का वरीय अधिकार बनता है और वे अन्वेषण, जांच या विचारण की लंबितावस्था के दौरान अंतरिम अभिरक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यह भी प्रतिपादित किया गया कि जब तक अधिनियम, 2004 की धारा 4, 5 और 6 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध करित करना सिद्ध न हो जाए, तब तक याचिकाकर्ताओं का अंतरिम अभिरक्षा के लिए आवेदन, अधिनियम, 2004 की धारा 7 के कठोर प्रावधानों को लागू कर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, और ऐसे मामलों में संहिता की धारा 451 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की शक्ति समाप्त नहीं होती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. जिन मामलों में, अधिनियम, 2004 के अतिरिक्त किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है, उनमें यह प्रतिवाद किया गया है कि अन्वेषण, जांच या विचारण की लंबितावस्था के दौरान पशुओं की अंतरिम अभिरक्षा से संबंधित कोई उपबंध नहीं है, ऐसे में संहिता की धारा 451 में निहित सामान्य प्रावधान लागू होंगे। अंत में यह प्रतिवाद किया गया है कि जिन पशुओं को अधिनियम, 2004 के अंतर्गत कथित रूप से अपराध किए जाने के लिए जब्त किया गया है अधिनियम, 2004 तथा अन्य विधियों के अंतर्गत, न तो याचिकाकर्ताओं को अंतरिम अभिरक्षा के

लिए दिए गए हैं और न ही अधिनियम, 2004 के अंतर्गत उल्लिखित संस्था को, बल्कि अभिरक्षा गाँव वालों को दे दी गई है, जो उन पशुओं का पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं, और अब कुछ पशुओं की मृत्यु भी हो चुकी है।

उपस्थित प्रतिवेदनों के समर्थन में, जो प्रस्तुत किए गए हैं, संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निम्न प्रकरणों पर अवलंब लिया गया है :

हस्मतुल्लाह विरुद्ध राज्य मध्यप्रदेश एवं अन्य, ए.आई.आर. 1996 सर्वोच्च न्यायालय 2076; **प्रबंधक, पिंजरापोल देउदर एवं एक अन्य विरुद्ध चक्रम मोरजी नट एवं अन्य**, ए.आई.आर.1998 सर्वोच्च न्यायालय 2769;**मध्यप्रदेश ए.आई.टी. परमिट ओनर्स एसोसिएशन विरुद्ध राज्य मध्यप्रदेश**, (2004) 1 एस.सी.सी.320; **राज्य मध्यप्रदेश एवं अन्य विरुद्ध मधुकर राव**, (2008) 14 एस.सी.सी. 624; **सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरुद्ध राज्य गुजरात**, 2003 (द्वितीय) एम.पी.डब्ल्यू.एन. [1]; **गोमुखी सेवा धाम विरुद्ध राज्य छत्तीसगढ़ एवं चार अन्य**, 2005 (1) एम.पी.एच.टी. 1 (छ.ग.);तथा **सोनाराम एवं अन्य विरुद्ध राज्य मध्यप्रदेश एवं अन्य**, 2006 (3) एम.पी.एच.टी. 490।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि चूँकि सभी याचिकाकर्ताओं पर अधिनियम, 2004 के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत अपराध कारित किए जाने का आरोप है, अतः पशुओं की अंतरिम अभिरक्षा उस अधिनियम की धारा 7 में निहित उपबंधों द्वारा शासित है, जिसके अनुसार अभियोजन की परिणति तक जब्त कृषिगत गौ-वंश निकटतम पंजीकृत गौशाला, गोसादन, गोरक्षण संस्थान या किसी अन्य पंजीकृत संस्थान की अभिरक्षा में रहेगा। राज्य के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि विशेष अधिनियम में निहित उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में, संहिता की धारा 451 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की शक्ति सीमित हो जाती है और पशुओं की अंतरिम अभिरक्षा केवल अधिनियम, 2004 की धारा 7 में निर्दिष्ट संस्थाओं को ही दी जा सकती है, न कि किसी अन्य को। वे प्रस्तुत करते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास यह विवेकाधिकार नहीं रह जाता कि पशुओं को निर्दिष्ट संस्था को दिया जाए या पशुओं के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें याचिकाकर्ता/आरोपी भी सम्मिलित हैं, को; ऐसी परिस्थिति में अधिनियम, 2004 की धारा 7 केवल निर्दिष्ट संस्थाओं को ही अंतरिम अभिरक्षा प्रदान करने की अनुमति देती है और किसी अन्य को नहीं। राज्य के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान अधिनियम, 2004 की धारा 18 में निहित प्रावधानों की ओर भी आकृष्ट किया, यह निवेदन करने के लिए कि अधिनियम के उपबंधों को, उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी भी अन्य उपबंध के होते हुए भी, वरीयता एवं वर्चस्व प्राप्त है।

8. संबंधित पक्षकारों के अधिवक्ताओं के निवेदनों को समझने के लिए, छत्तीसगढ़ कृषिगत गौ-वंश संरक्षण अधिनियम, 2004 में निहित प्रावधानों का परीक्षण करना प्रासंगिक है।

अधिनियम, 2004, जैसा कि इसकी भूमिका में वर्णित है, सामान्य जनता के हित में तथा साम्प्रदायिक सद्भाव एवं शांति बनाए रखने के लिए, कृषिगत गौ-वंश के वध पर प्रतिबंध लगाने तथा उससे संबद्ध विषयों के लिए अधिनियमित किया गया है। अधिनियम, 2004 की धारा 4, 5 एवं 6 कृषिगत गौ-वंश का वध, अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के प्रतिकूल रूप से किए गए किसी भी कृषिगत गौ-वंश के वधित मांस (बीफ़) का कब्जा, तथा राज्य के भीतर किसी भी स्थान से किसी भी कृषिगत गौ-वंश की बिक्री या परिवहन को, राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान या राज्य के बाहर किसी भी स्थान हेतु, उसके वध के उद्देश्य से, जो अधिनियम के प्रतिकूल हो, या यह जानते हुए कि उसका ऐसा वध किया जाएगा या किया जाना संभाव्य है, निषिद्ध करती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अधिनियम, 2004 की धारा 7 इस वाद में उत्पन्न विवाद के निर्णय के लिए अत्यंत प्रासंगिक होने के कारण, नीचे उद्धृत की जाती है :–

"7. जप्त किए गए कृषि पशुओं का कब्जा एवं मासिक प्रतिवेदन।— अभियोजन के समापन तक, जप्त किए गए कृषि पशु निकटतम पंजीकृत गोशाला, गोसदन, गोरक्षण संस्थान अथवा अन्य किसी पंजीकृत संस्थान की अभिरक्षा में रखे जाएंगे तथा उक्त संस्थान द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित न्यायालय को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।"

10. अधिनियम, 2004 की धारा 7 में निहित प्रावधान निर्विवाद रूप से स्पष्ट शब्दों में यह उपबंध करते हैं कि अभियोजन की परिणति तक जब्त कृषिगत गौ-वंश निकटतम पंजीकृत गौशाला, गोसादन, गोरक्षण संस्थान अथवा अन्य पंजीकृत संस्थान की अभिरक्षा में रहेगा तथा उन्हें निर्धारित प्रपत्र में संबंधित न्यायालय को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

11. अधिनियम, 2004 की धारा 10 दंड के लिए यह उपबंध करती है कि जो कोई धारा 4, 5 तथा 6 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है अथवा उसका अपराध में सहयोग करता है, उसे ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या ऐसे जुर्माने से, जो दस हज़ार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से। अधिनियम, 2004 की धारा 11 यह उपबंध करती है कि धारा 10 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के किसी भी विचारण में, जो इस अधिनियम की धाराओं 4, 5 एवं 6 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित हो, यह भार कि कृषिगत गौ-वंश का वध, परिवहन या बिक्री इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं थी, अभियुक्त पर होगा। अधिनियम के अंतर्गत अपराधों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के किसी भी उपबंध के होते हुए भी संज्ञेय एवं अज़मानती घोषित किया गया है। अधिनियम, 2004 की धारा 18 महत्त्वपूर्ण रूप से यह उपबंध करती है कि अधिनियम के प्रावधानों को उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी भी प्रावधान या ऐसे किसी साधन के होते हुए भी, जो इस अधिनियम के अतिरिक्त किसी अन्य विधि के बल पर प्रभावी हो, वरीयता एवं वर्चस्व प्राप्त होगा। अधिनियम, 2004 का उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य द्वारा अधिनियमित **कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1959"**को निरस्त करना भी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अतः अधिनियम, 2004 एक विशेष अधिनियमन है, जो कृषिगत गौ-वंश के वध, उसके कब्जे तथा परिवहन या बिक्री को निषिद्ध करता है। यह अधिनियम अनुसूची में निर्दिष्ट पशु, अर्थात् कृषिगत गौ-वंश, पर लागू होता है। अधिनियम में जब्त कृषिगत गौ-वंश की अंतरिम अभिरक्षा/स्वामित्व के संबंध में विशेष प्रावधान निहित हैं। यह स्पष्ट रूप से अधिनियमित करता है कि अभियोजन की परिणति तक जब्त कृषिगत गौ-वंश निकटतम पंजीकृत गौशाला, गोसादन, गोरक्षण संस्थान या अन्य पंजीकृत संस्थान की अभिरक्षा में रहेगा। अतः अभियोजन की परिणति तक, जब्त कृषिगत गौ-वंश की अंतरिम अभिरक्षा केवल निर्दिष्ट संस्थाओं को ही दी जा सकती है। अधिनियम, 2004 की धारा 7 में निहित उपबंध, इस प्रकार, निहित रूप से कृषिगत गौ-वंश की अंतरिम अभिरक्षा किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिए जाने पर रोक लगाते हैं, जो अधिनियम की धारा 7 में निर्दिष्ट न हो। अधिनियम की धारा 18 में निहित प्रावधानों के आलोक में, धारा 7 के उपबंधों को उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी भी प्रावधान के होने पर भी, वरीयता एवं वर्चस्व प्राप्त रहेगा।

13. संहिता की धारा 4, भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य विधियों के अंतर्गत अपराधों के विचारण के संबंध में प्रावधान करती है। उक्त प्रावधान इस प्रकार उद्धृत है :–

4. भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई।–

(1) भारतीय दंड संहिता, 1860 (संख्या 45) के अंतर्गत सभी अपराधों की जांच, पूछताछ, न्यायिक सुनवाई और अन्य रूप से निपटारा इसी अधिनियम में आगे वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(2) किसी अन्य कानून के अंतर्गत सभी अपराधों की जांच, पूछताछ, न्यायिक सुनवाई और अन्य रूप से निपटारा भी उन्हीं प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, किन्तु उस समय लागू किसी भी विधान के अधीन, जो ऐसे अपराधों की जांच, पूछताछ, न्यायिक सुनवाई या अन्य निपटारे के स्थान या तरीके को विनियमित करता हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपधारा (2) अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य प्रकार से निपटान के संबंध में, संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रावधान करती है। यह सामान्य प्रावधान है, परंतु यह उन सभी अधिनियमों के अधीन है, जो उस समय प्रवृत्त हों तथा जो ऐसे अपराधों के संबंध में अन्वेषण, जांच या विचारण की विधि या स्थान का विनियमन करते हों। अतः यदि विशेष अधिनियम में ऐसी प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो वही प्रक्रिया अपनाई जानी होगी और संहिता में निर्दिष्ट प्रक्रिया नहीं, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **राज्य (संघीय भारत) विरुद्ध राम सरन**, (2003) 12 एस.सी.सी. 578

के मामले में प्रतिपादित किया है, जहाँ यह कहा गया कि जब विशेष अधिनियम और संहिता के बीच कोई टकराव न हो अथवा जहाँ विशेष अधिनियम मौन हो, वहाँ संहिता में निर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी। परन्तु जहाँ विशेष अधिनियमन में भिन्न प्रक्रिया निर्धारित की गई हो, संहिता की धारा 4(2) में निहित प्रावधानों के आलोक में, विशेष अधिनियम में निहित प्रावधान लागू होंगे। संहिता में निहित प्रावधान केवल उस सीमा तक लागू होंगे, जहाँ तक वे विशेष अधिनियमन में निहित प्रावधानों से असंगत न हों। इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 5 में निहित उपबंध संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते कि विशेष विधि में निहित विशेष प्रावधानों को वरीयता प्राप्त होगी और वे संहिता के प्रावधानों पर वर्चस्व रखेंगे।

(कृपया देखें मारू राम विरुद्ध संघीय भारत, (1981) 1 एस.सी.सी. 107 एवं कौशल्या रानी विरुद्ध गोपाल सिंह, ए.आई.आर. 1964 सर्वोच्च न्यायालय 260)

अतएव, संहिता की धारा 451 में निहित प्रावधान अंतरिम अभिरक्षा के विषय में केवल उस सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक वे अधिनियम, 2004 की धारा 7 में निहित प्रावधानों से असंगत न हों; और भी, अधिनियम, 2004 की धारा 18 में निहित प्रावधानों के कारण, उन्हें वरीयता एवं वर्चस्व प्राप्त है। इस प्रकार, अंतरिम अभिरक्षा प्रदान करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति अधिनियम, 2004 की धारा 7 में निहित प्रावधानों द्वारा सीमित एवं नियंत्रित है। परिणामस्वरूप, अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध किए जाने के प्रकरण में अभियोजन की लंबितावस्था के दौरान कृषिगत गौ-वंश की अंतरिम अभिरक्षा प्रदान करते समय, जब्त कृषिगत गौ-वंश की अंतरिम अभिरक्षा केवल निकटतम पंजीकृत गौशाला, गोसादन, गोरक्षण संस्थान या अन्य पंजीकृत संस्थान को ही दी जा सकती है। अभियुक्त या स्वामी सहित किसी अन्य व्यक्ति को अंतरिम अभिरक्षा प्रदान किया जाना निहित रूप से निषिद्ध है। यह धारा 7 के आदेशात्मक स्वरूप तथा अधिनियम के प्रावधानों को धारा 18 के अंतर्गत दिया गया वर्चस्व, दोनों से स्पष्ट होता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष अनेक निर्णयों का उल्लेख किया है, जिनका ऊपर संदर्भ दिया गया है। उन निर्णयों में से किसी में भी अधिनियम, 2004 की धारा 7 के समान प्रावधानों के तहत परिक्षण नहीं किया गया था

15. हस्मतुल्लाह (उपर्युक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने **मध्यप्रदेश कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1959** की धारा 4(1)(a) में निहित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता की जांच की कि क्या वह कसाइयों के मौलिक अधिकारों पर अवांछित प्रतिबंध आरोपित करती है।

16. प्रबंधक, पिंजरापोल देउदर एवं एक अन्य (उपर्युक्त) के मामले में, पशु की अंतरिम अभिरक्षा से संबंधित अधिनियम, 1960 की धारा 35 के दायरे, उद्देश्य एवं अभिप्राय की परीक्षा की गई। यह प्रतिपादित किया गया कि यद्यपि मजिस्ट्रेट के पास पशु की अंतरिम अभिरक्षा पिंजरापोल को सौंपने का विवेकाधिकार है, तथापि पिंजरापोल को पशु के स्वामी पर कोई वरीयता प्राप्त अधिकार

नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित करते समय प्रासंगिक मार्गदर्शक तत्व प्रतिपादित किए कि अंतरिम अभिरक्षा उस स्वामी को दी जाए, जिसके विरुद्ध अभियोजन लंबित है, या पिंजरापोल को। यद्यपि वर्तमान मामले में, अधिनियम, 2004 की धारा 7 में निहित विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में विवेकाधिकार का तत्व पूर्णतया समाप्त हो गया है। अतः उपर्युक्त निर्णय याचिकाकर्ताओं की सहायता नहीं करता।

17. उपर्युक्त कारणों से, **सुंदरभाई अंबालाल देसाई (उपर्युक्त) तथा राज्य मध्यप्रदेश एवं अन्य (उपर्युक्त)** के मामलों में पारित निर्णयों पर रखा गया अवलंब भी अवस्थानुरूप नहीं है, क्योंकि न्यायालय के समक्ष मुद्दा संहिता की धारा 451/457 के अंतर्गत शक्तियों के दायरे और क्षेत्र से संबंधित था, जबकि यह न्यायालय अधिनियम, 2004 में निहित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता की जांच नहीं कर रहा है; अतः **मध्यप्रदेश ए.आई.टी. परमिट ओनर्स एसोसिएशन (उपर्युक्त)**

के मामले के निर्णय पर निर्भरता भी अवस्थानुरूप है और वह स्पष्ट रूप से भिन्न है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **गोमुखी सेवा धाम (उपर्युक्त)** के मामले में, इस न्यायालय ने **मध्यप्रदेश कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1959** के अंतर्गत कथित अपराध के लिए विचारण की लंबितावस्था के दौरान, विवादित पशुओं की अंतरिम अभिरक्षा प्राप्त करने के स्वामी के दावे की जांच की। अधिनियम, 1959 की रूपरेखा की जांच करने पर यह पाया गया कि जब्त पशुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में या जांच या विचारण की लंबितावस्था के दौरान किन्हें अंतरिम अभिरक्षा सौंपी जाए, इस बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया था; अतः यह निर्णय हुआ कि संहिता की धारा 451 के सामान्य प्रावधान लागू होंगे। उच्चतम न्यायालय के **प्रबंधक, पिंजरापोल देउदर एवं एक अन्य (उपर्युक्त)**

के निर्णय पर अवलंब करते हुए यह प्रतिपादित किया गया कि विचारण की लंबितावस्था के दौरान पशुओं की अंतरिम अभिरक्षा के विषय में स्वामी को वरीयता-अधिकार प्राप्त होगा। उपरोक्त निर्णय स्पष्ट रूप से भिन्न है क्योंकि कृषिगत गौ-वंश की अंतरिम अभिरक्षा के संबंध में विचारण की लंबितावस्था के दौरान विधिक योजना, **मध्यप्रदेश कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1959** से भिन्न है; अधिनियम, 2004 की धारा 7 में अब विशिष्ट प्रावधान किया गया है। अतः उपर्युक्त निर्णय

याचिकाकर्ताओं के मामले में सहायक नहीं है।**नब्बू विरुद्ध राज्य मध्यप्रदेश, 2005 (3) एम.पी.एल.जे. 512 के मामले में, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने गोमुखी सेवा धाम (उपर्युक्त) के निर्णय पर भरोसा करते हुए वाद का निस्तारण किया है।**

19. तथापि, संबंधित याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने यह प्रतिवेदन किया कि भले ही कृषिगत गौ-वंश की अंतरिम अभिरक्षा याचिकाकर्ताओं को न दी जा सके, परन्तु निजी व्यक्तियों/गाँव वालों को भी नहीं दी जा सकती। इस संबंध में इतना कहना पर्याप्त है कि धारा 7 में निहित प्रावधान निर्विवाद रूप से स्पष्ट हैं और कृषिगत गौ-वंश की अंतरिम अभिरक्षा केवल उन संस्थाओं को ही दी जा सकती है, जिन्हें धारा 7 में निर्दिष्ट किया गया है, और किसी अन्य को नहीं। उपर्युक्त वाद में याचिकाकर्ता इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि यदि किसी भी मामले में पशुओं की अंतरिम अभिरक्षा अधिनियम, 2004 की धारा 7 में निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को दे दी गई हो, तो वे अधोलिखित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे किसी भी आवेदन पर, विचारण न्यायालय आवश्यक आदेश पारित करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कृषिगत गौ-वंश की अंतरिम अभिरक्षा केवल उन व्यक्तियों/संस्थाओं को ही दी जाए, जिन्हें अधिनियम, 2004 की धारा 7 में निर्दिष्ट किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उपर्युक्त टिप्पणियों के अधीन, सभी **उपर्युक्त याचनाएँ (विविध दाण्डिक याचिका क्रमांकNO. 270, 391, 433, 471, 472 एवं 473/2011) निराधार हैं और इन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।**

सही/-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधिश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Advocate Shraddha Raj Jyotishi

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur